दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

<u>आप.अ. 1278/2012</u>

निर्णय सुरक्षित : 18 फरवरी, 2014
निर्णय उद्घोषित : 20 फरवरी, 2014.

वसीम उर्फ पासा (जे.सी. में) .... अपीलार्थी

द्वारा: श्री एम.एल.यादव, अधिवक्ता, जे/सी से व्यक्तिगत रूप से अपीलार्थी

बनाम

दिल्ली राज्य ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: राज्य के लिए अति.लो.अभि श्री ओ.पी. सक्सेना सह इंस्पेक्टर आनंद लाकड़ा, थाना शास्त्री पार्क

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा

<u>निर्णय</u>

1. अपीलार्थी के साथ दो अन्य व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया। अपीलार्थी को 19 जुलाई, 2012 के निर्णय के तहत भा.दं.सं. की धारा 307/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे सात वर्ष के लिए कठोर कारावास और 5000/- रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी और 23 जुलाई, 2012 के आदेश के तहत चूक होने पर छह महीने के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, अन्य सह-अभियुक्तों को भा.दं.सं. की धारा 323/34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया तथा उन्हें पहले से ही पूरी की गई अवधि के लिए सजा सुनाई गई।

2. यह घटना 29 नवंबर, 2009 को शाम 7.50 बजे शाहदरा मेट्रो स्टेशन की ऑटो पार्किंग में घटित हुई थी। घायल अभि.सा.1 फिरोज को अस्पताल में डॉक्टर द्वारा बयान देने के लिए फिट घोषित किया गया और धारा 324/34 भा.दं.सं. के तहत अपराध के लिए प्राथमिकी घायल अभि.सा.1 फिरोज के बयान पर दर्ज की गई। घायलों की जांच करने वाले डॉक्टर ने कहा कि चोटें साधारण प्रकृति की थीं। तत्पश्चात, जांच के दौरान एक अन्य डॉक्टर ने घायल अभि.सा.-1 की एमएलसी पर राय दी थी और कहा था कि चोटें गंभीर प्रकृति की थीं और अभि.सा.-1 का पूरक बयान भी जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था और

तदनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा धारा 307 भा.दं.सं. के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। सभी तीन अभियुक्तों (अपीलार्थी सहित) पर धारा 307/34 भा.दं.सं. के तहत अपराध का आरोप लगाया गया। विचारण के दौरान दर्ज साक्ष्य के आधार पर, अपीलार्थी को धारा 307/34 भा.दं.सं. के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, जबकि अन्य सह-अभियुक्तों को केवल धारा 323 भा.दं.सं. के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया।

3. अपीलार्थी ने मुख्य रूप से इस आधार पर सजा को चुनौती दी है कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थी का अभि.सा. 1 फिरोज की हत्या करने का कोई इरादा था। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से इस्तेमाल किया गया चाकू वह चाकू था जिसका उपयोग सब्जियां और फल काटने के लिए किया जाता है और यह कोई खतरनाक हथियार नहीं था। उन्होंने चाकू प्र.अभि.सा.2/च के स्केच पर भरोसा किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि ब्लेड की लंबाई 7.5 सेमी, ब्लेड की चौड़ाई 2 सेमी और हैंडल की लंबाई 10 सेमी है। चाकू की कुल लंबाई 17.5 सेमी है। आगे यह तर्क दिया गया कि चोटें चेहरे, उंगली और जांघ के बाएं पृष्ठीय भाग पर थीं तथा घायल अभि.सा.1 फिरोज के शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण भाग पर कोई चोट नहीं आई थी तथा यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपीलार्थी की

ओर से अभि.सा.1 को मारने की कोई मंशा नहीं थी। यह भी तर्क दिया गया कि झगड़ा अचानक हो गया था और अपीलार्थी की ओर से ये कोई पहले से सोच-समझकर उठाया गया कदम नहीं था। यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी को धारा 307/34 भा.दं.सं. के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जब उसके सह-अभियुक्तों को धारा 323/34 भा.दं.सं. के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।

4. राज्य के विद्वान अति.लो.अभि. की ओर से तर्क दिया गया कि प्रयुक्त हथियार चाकू है तथा यह एक खतरनाक हथियार है तथा इसमें अभि.सा.1 को मारने का पूरा इरादा था तथा अपीलार्थी की भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि न्यायोचित है।

5. मैंने तर्क सुने हैं और रिकार्ड का अवलोकन किया है।

6. भा.दं.सं. की धारा 307 में मृत्यु कारित करने का इरादा या ज्ञान तथा इसके लिए कोई कार्य करना भी शामिल है। इरादा एक मानसिक स्थिति है और इसे मामले की सभी परिस्थितियों से ही जाना जा सकता है।प्रयुक्त हथियार की प्रकृति, वह स्थान जहाँ चोटें पहुंचाई गईं, अपराध का उद्देश्य, प्रहार की गंभीरता और अपराध के लिए तैयारी कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्हें मृत्यु कारित करने के इरादे के तथ्य के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जा सकता है।

7. वर्तमान मामले में, यह स्थापित तथ्य है कि घायल अभि.सा.1 को घटना के दिन बयान देने के लिए उपयुक्त पाया गया था, जब जांच अधिकारी ने अस्पताल में उससे संपर्क किया था। घायल अभि.सा.-1 के बयान के आधार पर धारा 324 भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई। घायल अभि.सा.1 फिरोज ने निम्नानुसार गवाही दी है:

> "मैं अपना दिन का काम खत्म करने के बाद उक्त मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में बैठा था। मैंने देखा कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त वसीम उर्फ पासा (जिसकी सही पहचान हुई है) पार्किंग की ओर आ रहा था, जो उसी इलाके का निवासी होने के कारण मुझे पहले से जानता है, मैंने उसे बुलाया और 100 रुपये में फल बेचने के बदले 150 रुपये मांगे तथा इस घटना से तीन महीने पहले उसने मुझसे 50 रुपये उधार लिये थे। आरोपी वसीम उर्फ पासा ने 150/- रुपये देने से इनकार कर दिया और मेरे साथ गाली-गलौज की.... .... .मुझे आरोपी---हरीश पठानिया और सागर शर्मा उर्फ विश्व कीर्ति शर्मा ने पकड़ लिया और आरोपी--वसीम उर्फ पासा ने एक तेज धार वाली वस्तु निकाली और मुझे जान से मारने की नीयत से उस वस्तु से मेरे चेहरे, बाएं हाथ और बाएं जांघ के पीछे वाले हिस्से पर वार कर मुझे चोटें पहुंचाईं।

8. घायल की यह गवाही स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि अपीलार्थी ने घायल अभि.सा. 1 से तभी संपर्क किया था जब अभि.सा. 1 ने उसे बुलाया था और अपने पैसे की मांग की थी। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अपीलार्थी ने घायल अभि.सा.1 को मौत के घाट उतारने के इरादे से उसे बुलाया था। इसके अलावा, अपीलार्थी की ओर से कोई पहले से तैयारी भी नहीं की गई है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपीलार्थी अभि.सा.1 को मारने की पहले से रची साजिश के साथ घटनास्थल पर पहुंचा था। इसलिए उद्देश्य या तैयारी का अभाव है। इसमें कोई संदेह नहीं कि घटना में चाकू का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन चोटों की प्रकृति से पता चलता है कि चाकू का इस्तेमाल अभि.सा. 1 को मारने के इरादे से नहीं किया गया था। अभि.सा.1 को निम्नलिखित चोटें आईं:

1. गहरा कटा हुआ घाव - 7 X 1.5 सेमी. (चेहरे के बाईं ओर)

2. पर्याप्त चीरा हुआ घाव - 2 X 0.3 सेमी. (बायीं नासिका छिद्र)

3. चीरा हुआ घाव -

बाएं हाथ की तर्जनी ऊँगली - 1 X 0.5 सेमी.

अनामिका ऊँगली - 1.5 X 0.3 सेमी.

4. जांघ के पृष्ठ भाग में घाव - 4 x 1 सेमी.

9. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अभि.सा.1 के शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण भाग पर कोई चोट नहीं थी। चेहरे के बायें हिस्से, बायीं नासिका छिद्र, बायें हाथ की तर्जनी, अनामिका और जांघ के बायें पृष्ठीय हिस्से पर चोटें आईं।

ये तथ्य स्पष्ट रूप से अपीलार्थी की ओर से अभि.सा.1 की हत्या करने की किसी भी मंशा को नकारते हैं।

10. ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष अभि.सा.1 वाले व्यक्ति को लगी चोटों की प्रकृति के बारे में भी आश्वस्त है। जबकि डॉ. राजेंद्र कुमार ने चोटों की प्रकृति को साधारण बताया था, डॉ. अनिमेष बसाक ने 12.1.2010 को चोटों की प्रकृति को गंभीर बताया था। डॉ. अनिमेष बसाक से अभि.सा.11 के रूप में पूछताछ की गई। उन्हें यकीन नहीं था कि एमएलसी पर चोटों की प्रकृति गंभीर होने के बारे में अपनी राय देने से पहले उन्होंने मरीज मोहम्मद फिरोज की जांच की थी या नहीं।उन्होंने निश्चित रूप से घटना वाले दिन को अस्पताल में भर्ती होने पर अपीलार्थी मोहम्मद फिरोज अभि.सा. 1 की जांच नहीं की थी। उनके बयान के अनुसार उन्होंने मरीज की जांच केवल 12.1.2010 को की थी और उसी दिन उन्होंने चोटों की प्रकृति को गंभीर बताया था। यह विचित्र बात है कि जिस डॉक्टर ने घायल अभि.सा.-1 की प्रारम्भिक जांच की थी, जब उसके शरीर पर चोटें ताजा थीं, उसने चोटों के बारे में अपनी राय दी थी कि वे साधारण

प्रकृति की थीं, जबकि एक डॉक्टर जिसने ढाई महीने बाद अभि.सा.-1 की जांच की थी, ने अपनी राय दी थी कि चोटें गंभीर प्रकृति की थीं। इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि इस अवधि के दौरान चोटें ठीक हुईं या नहीं। यह आपराधिक कानून का प्रमुख सिद्धांत है कि जब गवाहियां विपरीत प्रकृति की हो, तो अभियुक्त के पक्ष में जो साक्ष्य हो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए और लाभ अभियुक्त को मिलना चाहिए। घटना के ढाई महीने बाद घायल व्यक्ति के शरीर पर गंभीर चोटें पाए जाने या देखे जाने के संबंध में डॉक्टर की दूसरी राय इस अदालत को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह घटना वाले दिन घायल की वास्तविक जांच पर आधारित नहीं है। जिस डॉक्टर ने घटना के आरंभ में और तुरंत बाद घायलों की जांच की थी, उसकी राय अधिक भरोसेमंद और विश्वसनीय है।

11. उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि घटना के समय अपीलार्थी की ओर से घायल अभि.सा.-1 की हत्या करने की कोई तैयारी या उद्देश्य नहीं था तथा घायलों को लगी चोटें भी साधारण प्रकृति की थीं, भले ही वे धारदार हथियार से लगी थीं। अपीलार्थी ने मारने के इरादे से घायल अभि.सा. 1 को नहीं बुलाया था। वास्तव में अपीलार्थी घायल अभि.सा.1 के पास पहुंचा, तो अभि.सा.1 ने 150 रुपये की मांग की। उपरोक्त के मद्देनजर, धारा 307 भा.दं.सं. के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि धारणीय नहीं है। इसलिए धारा 307/34 भा.दं.सं. के

तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा को अपास्त किया जाता है। मैं अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 324 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराता हूं क्योंकि यह रिकॉर्ड पर साबित है कि अपीलार्थी ने अभि.सा. 1 के शरीर पर चाकू की मदद से अपने आप से चोट पहुंचाई थी।

12. इस अपराध के लिए तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। तथ्यों और परिस्थितियों में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी पहले ही लगभग दो वर्ष से अधिक की सजा काट चुका है, मैं उसे उसके द्वारा पहले ही काटी गई अवधि के लिए सजा सुनाता हूं।

13. इस आदेश की प्रति विचारण न्यायालय को भेजी जाए। रजिस्ट्री को आदेश की एक प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है।

14. यदि अपीलार्थी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

15. उपरोक्त शर्तों के अनुसार अपील का निपटान किया जाता है।

(दीपा शर्मा)

न्यायाधीश

20 फ़रवरी, 2014/आरबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*